



Arvind Kejriwal
Chief Minister, Delhi

ONLINE APPLICATIONS ARE INVITED FOR SCHOLARSHIP SCHEMES

FROM THE STUDENTS BELONGING TO SC/ST/OBC/MINORITY CATEGORY

www.edistrict.delhigovt.nic.in

Last date for submission of application: 31st January 2018

Online applications are invited for following scholarship schemes from the students belonging to SC/ST/OBC/Minority category in National Capital Territory of Delhi for the year 2017-18:-

1. Reimbursement of tuition fees to the SC/ST/OBC/Minority students of Class I to XII, studying in recognized public/private schools of Delhi.
2. Financial assistance for purchase of stationery to SC/ST/OBC/Minority category students studying in Class I to Class XII.
3. Scholarship/Merit Scholarship to the Students belonging to SC/ST/OBC/ Minority category studying in Class I to Class XII.
4. Merit scholarship for students belonging to SC/ST/OBC/Minority category studying in Professional/ Technical Colleges/ Institutions/ Universities.
5. Pre-Matric Scholarship for SC Students
6. Post -Matric Scholarship for SC Students
7. Pre- Matric Scholarship for OBC Students
8. Post -Matric Scholarship for OBC Students

Details of these scholarship schemes, including instructions for applying online by students and verification of applications by educational institutes etc., are available on the official website of the department i.e. www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

Dip/Shadanth/D/0133/17-18



अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली

दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

www.edistrict.delhigovt.nic.in

आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2018

दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों से वर्ष 2017-18 के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति।
3. कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति।
4. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी/पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-परवर्ती स्कॉलरशिप योजना।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप योजना।
7. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप योजना।
8. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-परवर्ती स्कॉलरशिप योजना।

योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी, ऑन-लाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया तथा आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सत्यापित करने की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in पर लॉग-ऑन करें।